प्रेस नोट

कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर पासपोर्ट बनवाने के मामले में 4 अभियुक्तों 3 वर्ष का कारावास व 4000 रु. का अर्थ दण्ड

एटीएस ने वर्ष 2017 में पंजीकृत किया था अभियोग

दिनांक : 25 अक्टूबर, 2019

वर्ष 2017 में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर पासपोर्ट बनवाने व उनका प्रयोग देश विरोधी गतिविधियों में करने का मामला सामने आया था। जिसमें एटीएस द्वारा थाना-एटीएस पर मु.अ.सं- 7/2017 अंतर्गत धारा – 419, 420, 467, 468, 471, 120b व 12 पासपोर्ट अधिनियम दर्ज किया गया था। इस अभियोग की विवेचना के क्रम में एटीएस द्वारा पाया गया कि एक संगठित गिरोह द्वारा कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर लोगोके फर्जी पासपोर्ट बनाकर विदेश भेजा जा रहा है।

एटीएस उ.प्र. द्वारा उक्त मुकदमें की सघन पैरवी की गयी और प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस मुक़दमे की प्रतिदिन सुनवाई करते हुए 6 माह में निस्तारित किये जाने के आदेश अधीनस्थ न्यायलय को दिए गए थे।

आज दिनांक 25.10.19 को इस अभियोग में माननीय न्यायालय ने 4 अभियुक्तों को विभिन्न धाराओं का दोषी मानते हुए सजा सुनाई है।

1. **अरमान खान पुत्र किस्मत अली**
   निवासी : निवासी-मदनपुर, देवरिया
   हाल पता : शॉप नं -44, UGF लखनऊ प्लाजा, नजीराबाद रोड, थाना-अमीनाबाद, लखनऊ
2. **मारूफ पुत्र मो. फारुख**
   निवासी : 295/119 अशर्फाबाद, थाना-चौक, लखनऊ
3. **राजा सरदार उर्फ़ कुलविन्दर सिंह पुत्र सरनजीत सिंह**
   E-34, सेक्टर-C-1, LDA कॉलोनी, थाना-कृष्णानगर, लखनऊ
4. **जावेद नकवी पुत्र स्व. अतहर अली**
   164/16, कर्नल की लाट, ग्वीन रोड, थाना-अमीनाबाद, लखनऊ

इन सभी अभियुक्तों को धारा-420 भादवि के लिए दो वर्ष का कारावास व 1000 रूपये जुर्माना, धारा 467-भादवि के लिए 3 वर्ष का कारावास व 1000 रु, जुर्माना, धारा-368 भादवि के लिए 3 वर्ष का कारावास व 1000 रूपये का जुर्माना तथा धारा-471 भादवि के लिए 1 वर्ष का कारावास व 1000 रूपये के जुर्माने से दण्डित किया गया है। कारावास की सजा एक साथ चलेगी व जुर्माने की राशि जुड़ेगी।

इस प्रकार अलग-अलग धाराओं में माननीय न्यायालय एडीजे–6 (भ्रष्टाचार निवारण) द्वारा कुल 3 वर्ष के कारावास व 4000 रूपये के अर्थदंड से दण्डित किया गया है।